



RESEARCH AND DEVELOPMENT CELL (RDC)

Ref: SXCJ/ACAD/RDC/INTERNSHIP/2025-26/3368

24-03-2026

MANDATORY INTERNSHIP UNDER NATIONAL EDUCATION POLICY (NEP) 2020

This is to inform all undergraduate students that, in accordance with the directives issued by the University of Rajasthan, Jaipur, under the National Education Policy (NEP) 2020, completing an internship is mandatory for all Regular students to be eligible for their Bachelor's Degree (Three/Four Year).

All students currently enrolled in Semester V/VI are required to complete their internship and submit all supporting documents, along with a Completion Certificate, to the college on or before **31st May 2026**. The Research Project Committee under the Research & Development Cell (RDC) of St. Xavier's College Jaipur has been designated as the Nodal Coordinating Body for the internship process at the institutional level. All students are advised to contact the Coordinator, RDC or the committee for registration, guidance, and documentation.

Key Points to Note:

- Internship is compulsory for degree eligibility — marksheets will NOT be issued to students who fail to complete it within the stipulated deadline.
- Minimum internship duration is 120 hours/ Three weeks.
- The Completion Certificate and all relevant documents must be submitted to the college by 31st May 2026.
- Refer to University Notification No. 35 for complete procedural guidelines (Available on the College Website).

All students are advised to act promptly and ensure compliance well within the deadline. For any queries, contact the Research Project Committee, St. Xavier's College Jaipur.

- Dr Yashwardhan Singh, Dept of Economics – Nodal Officer/ Coordinator, RDC (researchproject@xscjpr.edu.in)
- Dr Shruti Rawal, Dept of English – Assistant Coordinator (shrutirawal@xscjpr.edu.in)
- Dr Vaishali Singh, Dept of Comp Sc – Member (vaishalisingh@xscjpr.edu.in)
- Dr Renu Jadon, Dept of Business Adm – Member (renujadon@xscjpr.edu.in)

Principal
St. Xavier's College, Jaipur
Nevta-Mahapura Road, Jaipur

Ref: SXCJ/ACAD/RDC/INTERNSHIP/2025-26/3369-3374

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1. Vice Principal, St. Xavier's College Jaipur
2. Dean, Research & Development Cell, St. Xavier's College Jaipur
3. Coordinator, Research & Development Cell, St. Xavier's College Jaipur
4. Heads of all the Departments, St. Xavier's College Jaipur
5. Coordinator, Website Committee, St. Xavier's College Jaipur
6. Principal Office, St. Xavier's College Jaipur

“To create men and women for others”



RESEARCH AND DEVELOPMENT CELL (RDC)

Nodal Coordinating Body for NEP-2020 Internship (as per UoR Circular dated 27-02-2026)

Internship Process under National Education Policy (NEP) 2020

The Research Project Committee under the Research & Development Cell (RDC) of St. Xavier's College Jaipur, is the designated Nodal Body for coordinating the mandatory internship process under NEP-2020. These guidelines are issued to help students understand the complete process and comply with the University of Rajasthan's requirements.

1. Who Must Complete the Internship?

- All Regular students currently in Semester V or Semester VI.
- Internship is compulsory for the award of the undergraduate degree under NEP-2020.

2. Important Deadline

Activity	Deadline / Detail
Registration with RDC	As early as possible (before commencing internship)
Internship Completion	On or before 31st May 2026
Document Submission to College	On or before 31st May 2026
Minimum Duration	120 Hours

3. Step-by-Step Process

1. Identify an organization for internship — Government, Private, Semi-Government, or NGO — related to any skill area. You may also approach organizations already tied up with the college under an MOU.
2. Obtain an Offer Letter from the organization (if available) before starting.
3. Report to the RDC (Nodal Officer) at St. Xavier's College with the Offer Letter for approval and registration before commencing your internship.
4. Complete a minimum of 120 hours of internship at the designated organization.
5. Collect your Completion Certificate from the organization upon completion.
6. Submit all documents (Offer Letter, Internship report, Completion Certificate, and any other supporting documents) to the RDC / college by 31st May 2026.
7. The RDC Nodal Officer will verify the documents and upload them to the University of Rajasthan website.

4. Where Can You Do Your Internship?

- Any government department or public sector organization.
- Private companies or industries relevant to your field of study.
- NGOs and semi-government bodies.
- Organizations with which the college has an existing MOU.
- Research project within the institution.
- Any institution dealing with skill-based training and development.

“To create men and women for others”



RESEARCH AND DEVELOPMENT CELL (RDC)

5. Documents to Be Submitted

S. No.	Document	Mandatory?
1.	Internship Offer Letter / Appointment Letter from the organization	If available
2.	Internship Completion Certificate issued by the organization	Yes
3.	Attendance record / Daily work log (120 hours) (if available)	Recommended
4.	Brief internship report (as per University Notification No. 35)	Yes
5.	Photograph of student at the internship site (if available)	Recommended

6. Important Rules & Consequences

- Marksheet will NOT be issued if the internship is not completed and the documents are not submitted before the deadline.
- Students must register with the RDC BEFORE starting the internship — an internship done without prior registration may not be recognised.
- University Notification No. 35 must be read in full for official process requirements.
- Falsification of documents is a serious academic offence and will attract disciplinary action.

7. Contact – RDC Nodal Body

Nodal Body	Research Project Committee, Research & Development Cell (RDC), St. Xavier's College Jaipur
Nodal Officer	Dr Yashwardhan Singh, RDC Coordinator / Nodal Officer
Committee Members	<ul style="list-style-type: none"> • Dr Shruti Rawal, Dept of English – Assistant Coordinator (shrutirawal@xscjpr.edu.in) • Dr Vaishali Singh, Dept of Comp Sc – Member (vaishalisingh@xscjpr.edu.in) • Dr Renu Jadon, Dept of Business Adm – Member (renujadon@xscjpr.edu.in)
Office Location	Room No 318 / Reception, St. Xavier's College Jaipur
Email	researchproject@xscjpr.edu.in

Students are strongly encouraged to begin the internship process immediately and not wait until the last date. Early completion ensures sufficient time for the College to verify and upload the document.

Dr Yashwardhan Singh

Coordinator, Research & Development Cell

St. Xavier's College Jaipur

Date: March 24, 2026



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
जवाहर लाल नेहरू मार्ग

क्रमांक : परीक्षा / 2026 /

दिनांक:

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषय:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत Internship के आयोजन के संबंध में।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक: परीक्षा / 2025 / 1589 दिनांक 17.11.2025, परीक्षा / 2025 / 1787 दिनांक 17.12.2025, परीक्षा / 2026 / 1727 दिनांक 27.02.2026, परीक्षा-4- अ/ब / 2026 / 1289 दिनांक 02.05.2026 एवं परीक्षा-4 -अ/ब / 2026 / 2081-2084 दिनांक 05.06.2026

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2023 से स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की जा चुकी है। इस नीति के तहत स्वयंपाठी एवं नियमित (Non-Collegiate & Regular) विद्यार्थियों को स्नातक सेमेस्टर उपाधि पूर्ण करने हेतु Internship करना अनिवार्य है। Internship की प्रक्रिया पूर्ण करवाने हेतु आपके महाविद्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करना सुनिश्चित करें।

वर्तमान सत्र में सेमेस्टर पंचम एवं षष्ठम के नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों को दिनांक 30.06.2026 तक Internship पूर्ण करना आवश्यक है। आपके केन्द्र पर जिन स्वयंपाठी विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र जमा करवाया गया है। उनका प्रक्रियानुसार Internship हेतु पंजीकरण कर Internship करने के लिए संबंधित संस्था / केन्द्र आवंटित करें। Internship की अवधि 120 घंटे निर्धारित है। जिसका प्रमाण पत्र समस्त दस्तावेजों सहित आपके महाविद्यालय / केन्द्र पर जमा होगा तथा जिसे महाविद्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत आयोजित होने वाली Internship की प्रक्रिया हेतु विश्वविद्यालय नोटिफिकेशन-35 एवं 38 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Sd -
परीक्षा नियंत्रक

दिनांक: 08.06.2026

क्रमांक : परीक्षा / 2026 / 1392 - 96

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयोजक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलगुरु / कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

Asstt
8/6/26
सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : परीक्षा/2025/1589

दिनांक : 17.11.2025

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

विषय :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की तहत आयोजित होने वाली परीक्षाओं की स्कीम एवं दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को प्रक्रियानुसार दो एन.ई.पी. काउन्सलर नियुक्त करने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया था तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी होने वाले दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय वेबसाइट तथा महाविद्यालय पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा एन.ई.पी. नोटिफिकेशन-35 भी जारी किया जा चुका है।

महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को सही एवं उचित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने के कारण विश्वविद्यालय में अनावश्यक भीड़ होती है जिसकी वजह से कार्यालय कार्य प्रभावित होता है। अतः सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में नियुक्त दो एन.ई.पी. काउन्सलर के नाम, कमरा नम्बर, मोबाईल नम्बर तथा उनसे मिलने के समय के सम्बन्ध में समस्त जानकारी महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर अंकित करना अनिवार्य है। साथ ही यदि किसी काउन्सलर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की तहत आयोजित होने वाली परीक्षाओं एवं स्कीम के सम्बन्ध में कोई जानकारी आवश्यक है तो वे स्वयं व्यक्तिशः विश्वविद्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय नहीं भेजें, अन्यथा संबंधित महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय,

17.11.25
परीक्षा नियंत्रक



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : परीक्षा/2025/1787

दिनांक : 17-12-2025

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

विषय :- इन्टर्शिप प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने बाबत।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के अन्तर्गत त्रिवर्षीय/चतुर्वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के संबंध में विश्वविद्यालय अधिसूचना (Notification) संख्या-35 (O.199 G20) के पृष्ठ संख्या 22 से 28 में वर्णित प्रक्रियानुसार नियमित/स्वयंपाठी विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के दौरान इन्टर्शिप निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य है। अतः आप नियमित/स्वयंपाठी विद्यार्थियों की समय रहते उक्त अध्यादेश में वर्णित प्रावधान के अनुसार इन्टर्शिप प्रक्रिया को पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही इस हेतु अपने स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार भी करें।


परीक्षा नियंत्रक



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

क्रमांक : परीक्षा / 2026 / 1787

दिनांक: 27.12.2026

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय /
परीक्षा आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषय:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत Internship के आयोजन के संबंध में।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक: परीक्षा / 2025 / 1589 दिनांक 17.11.2025 एवं क्रमांक: परीक्षा / 2025 / 1787
दिनांक 17.12.2025

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2023 से स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की जा चुकी है। इस नीति के तहत स्वयंपाठी एवं नियमित (Non-Collegiate & Regular) विद्यार्थियों को स्नातक सेमेस्टर उपाधि पूर्ण करने हेतु Internship करना अनिवार्य है। Internship की प्रक्रिया पूर्ण करवाने हेतु आपके महाविद्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करना सुनिश्चित करें।

वर्तमान सत्र में सेमेस्टर पंचम एवं सेमेस्टर षष्ठम के नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों को दिनांक 31.05.2026 तक Internship पूर्ण करना आवश्यक है। आपके केन्द्र पर जिन स्वयंपाठी विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र जमा करवाया गया है। उनका प्रक्रियानुसार Internship हेतु पंजीकरण कर Internship करने के लिए संबंधित संस्था / केन्द्र आवंटित करें। Internship की अवधि 120 घंटे निर्धारित है में Internship पूर्ण कर सकते हैं। जिसका प्रमाण पत्र समस्त दस्तावेजों सहित आपके महाविद्यालय / केन्द्र पर जमा होगा तथा जिसे महाविद्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत आयोजित होने वाली Internship की प्रक्रिया हेतु विश्वविद्यालय नोटिफिकेशन-35 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें।

भवदीय

1/26.02.26
परीक्षा नियंत्रक



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

क्रमांक- परीक्षा 4-अ/ब/2026/ 1289

दिनांक: 22/5/26

परिपत्र

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-35 एवं 38 में इंटरशिप के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसमें इंटरशिप हेतु निर्धारित समयवधि यथा किस वर्ष तथा किन संस्थाओं एवं सम्बन्धित संस्थाओं में विद्यार्थियों को किस आधार पर पंजीकृत होना है। साथ ही इंटरशिप पूर्ण होने के पश्चात् किस प्रकार से अपना इंटरशिप प्रमाण-पत्र जमा/पंजीकृत करवाना है, इस हेतु गठित सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंटरशिप की बैठक दिनांक 04.04.2026 की अनुशंसानुसार इंटरशिप हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं क्षेत्र निम्नानुसार है :-

इंटरशिप हेतु निर्धारित प्रक्रिया :

- 1- सर्वप्रथम नियमित विद्यार्थियों को अपने महाविद्यालय एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र जमा केन्द्र में अधिसूचना संख्या 35 अध्यादेश-199G20 के तहत निर्धारित संरचना के अन्तर्गत नियुक्त NEP नोडल अधिकारी/पर्यवेक्षक/संरक्षक से सम्पर्क करना है। नोडल अधिकारी/पर्यवेक्षक/संरक्षक द्वारा दी जाने वाली इंटरशिप सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना अनुसार इंटरशिप हेतु निर्धारित आवेदन पत्र **(Appendix-I)** के माध्यम से आवेदन करना होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप **(Appendix-II)** अनुसार इंटरशिप करवाने वाली संस्था को Letter of Recommendation जारी करना होगा।
2. इंटरशिप पूर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थी को इंटरशिप करवाने वाली संस्था से प्रमाण-पत्र **(Appendix-III)** प्राप्त कर पुनः सम्बन्धित महाविद्यालय में नोडल अधिकारी/पर्यवेक्षक/संरक्षक से सम्पर्क कर प्रमाण-पत्र जमा करवाना होगा।
3. इंटरशिप करवाने वाली संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र पर सम्बन्धित विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, प्रोग्राम/कोर्स का नाम, अनुक्रमांक, इंटरशिप कोर्स का नाम, QR Code (Active/not static) एवं अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर अवश्य सम्मिलित करना होगा, जिससे जारी प्रमाण-पत्र को सम्बन्धित इंटरशिप संस्था की अधिकृत वेबसाइट पर QR Code Link के माध्यम से प्रमाणित किया जा सकेगा।
4. प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर महाविद्यालय द्वारा अध्यादेश-199G20 के तहत अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। साथ ही Online/Hybrid Mode पर आधारित इंटरशिप में महाविद्यालय/केन्द्र सम्बन्धित विद्यार्थी को जारी एल.ओ.आर के माध्यम से विद्यार्थी की Logbook & Presentation report पर्यवेक्षक/संरक्षक द्वारा प्रमाणित की जायेगी।
5. विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय से प्रमाण-पत्र/उपाधि पूर्ण एवं प्राप्त करने के लिये 04 क्रेडिट हेतु प्रोग्राम के निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत किसी भी वर्ष/सेमेस्टर में इंटरशिप किया जा सकता है, जिसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय की परीक्षा संबंधित Website/Portal पर नोडल अधिकारी द्वारा Upload किया जायेगा।

इंटरशिप हेतु निर्धारित क्षेत्र :

1. राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं से एम.ओ.यू. किया हुआ है जिनसे विद्यार्थी इंटरशिप कर सकते हैं। विश्वविद्यालय एवं संस्थाओं के मध्य हुए Memorandum of Understanding (MoU) की सूची विश्वविद्यालय वेबसाइट www.uniraj.ac.in पर भी उपलब्ध है। विश्वविद्यालय योजना एवं परियोजना अनुभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.35-325/पीपी/2026/1526 दिनांक 08-04-2026 के तहत इंटरशिप हेतु NASSCOM, RCAT, RKCL एवं Skill India (Government of India) जैसी संस्थाओं को भी जोड़ा गया है। **(Appendix-IV)**
2. विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार के उपक्रम/राजकीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं (जैसे स्कूल, पंचायत, आई.टी.आई., फार्मसी इत्यादि संस्था एवं राजकीय कार्यालयों) से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है।
3. सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी को इंटरशिप हेतु राजकीय नियमों के तहत स्थापित एवं पंजीकृत एन.जी.ओं (NGO) को भी अधिकृत किया जा सकता है, जिसकी पूर्व अनुमति इंटरशिप बोर्ड द्वारा लिया जाना आवश्यक होगा।

AM 3m 2m 1 4



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

4. विद्यार्थी बिन्दु संख्या-01 से 03 पर सन्दर्भित संस्थाओं का अवलोकन कर अपनी सुविधानुसार एवं पंजीकृत संस्थाओं द्वारा निर्धारित इंटर्नशिप शुल्क का अवलोकन कर अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुये स्वविवेक से चयन करने हेतु स्वतन्त्र है।

अतः उपरोक्तानुसार समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय/परीक्षा आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र को सूचित किया जाता है कि इंटर्नशिप हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं क्षेत्रों से सभी विद्यार्थियों को सूचित/जागरूक करवाने का श्रम करें।

उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

sd—
परीक्षा नियंत्रक

दिनांक: 02/5/26

क्रमांक- परीक्षा 4-अ/ब/2026/ 1290-96

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय/परीक्षा आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, कुलगुरु/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को समस्त महाविद्यालयों के पोर्टल पर मुख्य रूप में प्रदर्शित करने का श्रम करें।

सहायक कुलसचिव
(परीक्षा 4-अ/ब)
02/5/26



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

क्रमांक- परीक्षा 4-अ/ब/2026/

दिनांक:

परिपत्र

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-35, 38 एवं समिति की पूर्व बैठक दिनांक 04.04.2026 की अनुशंसानुसार जारी परिपत्र क्रमांक परीक्षा 4-अ/ब/2026/1289 दिनांक 02.05.2026 के तहत इंटर्नशिप हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं क्षेत्र में महाविद्यालयों को आ रही समस्याओं के समाधान हेतु सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंटर्नशिप की दिनांक 18.05.2026 को सम्पन्न बैठक के निर्णयानुसार समस्याओं को निम्नानुसार निस्तारित करने हेतु सभी सम्बन्धितों को निर्देशित किया जाता है :-

1. इंटर्नशिप प्रमाण-पत्र पर क्यू.आर. कोड की बाध्यता को वर्तमान सत्र 2025-26 के लिये अनिवार्य नहीं मानते हुये आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से अनिवार्य किया जाता है। राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी इंटर्नशिप प्रमाण-पत्र पर क्यू.आर. कोड की बाध्यता नहीं होगी।
2. इंटर्नशिप हेतु जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2026 से पूर्व जिन विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित इंटर्नशिप पूर्ण कर ली गई है एवं प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है, उन्हें सत्र 2025-26 के लिए मान्य किया जाता है। परिपत्र जारी दिनांक 02.05.2026 के पश्चात् परिपत्र में उल्लेखित सम्पूर्ण प्रक्रिया यथावत लागू रहेगी।
3. महाविद्यालय में विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत इंटर्नशिप प्रमाण-पत्र को महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के परीक्षा पोर्टल पर अपलोड करने हेतु जमा किया जायेगा जिसकी प्रमाणित प्रति सुरक्षित रखते हुए मूल प्रमाण-पत्र विद्यार्थी को वापस करना होगा।

अतः उपरोक्तानुसार समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय/परीक्षा आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र/परीक्षा केन्द्र को सूचित किया जाता है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित/जागरूक करवाने का श्रम करें।

उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


Sd -
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक- परीक्षा 4-अ/ब/2026/2081-2084

दिनांक: 5.6.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय/परीक्षा आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र/परीक्षा केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, कुलगुरु/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को समस्त महाविद्यालयों के पोर्टल पर मुख्य रूप में प्रदर्शित करने का श्रम करें।


सहायक कुलसचिव
(परीक्षा 4-अ/ब)